राजस्थान सरकार
नगरीय शासन

क्रमांक–ःप.10(52)नविवि / 3 / 99 जयपुर, दिनांक–ः 19.02.07

::आदेश::

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा राज्य में पर्यटन आधारभूत संरचना में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा नई होटल नीति–2006 जारी की जा चुकी है। उक्त नीति के अन्तर्गत नवीन होटल प्रोजेक्टों के लिए देय एफ.ए.आर. के संबंध में आवश्यक प्रावधान भी किये गये है। अतः नवीन होटल प्रोजेक्टस् के लिए देय एफ.ए.आर. के संबंध में निम्न प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैः–

1. वर्तमान विकसित योजना क्षेत्रों में नवीन होटल : वर्तमान विकसित योजना क्षेत्रों में नवीन होटलों के निमार्ण प्रस्तावों पर वर्तमान भवन विनियमों में अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का दुगना एफ.ए.आर. देय होगा, बर्शते कि सम्पूर्ण योजना क्षेत्र का एफ.ए.आर. 1 (एक) से अधिक न हो।
2. नये क्षेत्रों में प्रस्तावित नवीन होटल : नई टाउनशिप नीति के अन्तर्गत टाउनशिप विकास के लिये चिन्हित किये गये प्रस्तावित क्षेत्रों में नवीन होटलों के निमार्ण प्रस्ताव पर वर्तमान भवन विनियमों में अनुज्ञेय एफ. ए. आर. का दुगना एफ. ए. आर. देय होगा, बर्शतें कि सम्पूर्ण टाउनशिप का एफ. ए. आर. 1 (एक) से अधिक न हो।

ह / –
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
5. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र समस्त स्थानीय निकायों को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....................
8. रक्षित पत्रावली।

ह / –
उप नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302001

क्रमांकः–जविप्रा / स.स.(बीपीसी) / डी–1099 दिनांक 12.12.06

–ःअधिसूचनाः–

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 16 के खण्ड (त) के साथ पठित धारा 96, 32 (3)और 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा भवन विनियम, 2000 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन संशोधन विनियम, 2006 (द्वितीय)

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   - 1.1 यह विनियम जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन संशोधन विनियम, 2006 (द्वितीय) कहलाएंगे।
   - 1.2 यह संशोधन विनियम राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2 भवन विनियम 2000, की तालिका (ग) की टिप्पणी में बिन्दु संख्या (vii) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

VII- होटल के प्रकरणों में भवन विनियम 2000 में प्रावधानित एफ.ए.आर. का दुगना एफ. ए. आर (अधिकतम) निम्नांकित शर्तों के साथ अनुज्ञेय होगा

1 वर्तमान विकसित योजना क्षेत्रों में नवीन होटलों के निमार्ण प्रस्तावों पर वर्तमान भवन उपनियमों में अनुज्ञेय एफएआर का दुगना एफएआर देय होगा बशर्ते कि सम्पर्ण योजना क्षेत्र का एफएआर एक से अधिक न हो।

2 नई टाउनशिप नीति के अन्तर्गत टाउनशिप विकास के लिए चिन्हित किये गये प्रस्तावित क्षेत्रों नवीन होटलों के निर्माण प्रस्ताव पर वर्तमान भवन उपनियमो में अनुज्ञेय एफएआर का दुगना एफएआर देय होगा बशर्ते कि सम्पूर्ण टाउनशिप का एफएआर एक से अधिक न हो।

3 अनुमोदित एफएआर बाबत प्रार्थी द्वारा पार्किंग प्रश्नगत भूखण्ड में ही प्रावधानित करनी होगी।

ह / –

(जी.एल.गुप्ता)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर